BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 79/2024/EZ

(Earlier O.A No. 245/2024/PB)

IN RE: New item titled "Hazaribagh: Lal Balu ka kala khel: lagi hai rok, panch gunee adhik keemat par bech rahe maafia" appearing in Lagatar dated 07.02.2024

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed by Deputy Commissioner, Hazaribagh, Government of Jharkhand.	1 - 5
2.	Verification	6
2.	Annexure - 1	7 - 14
3.	Annexure - 2	15 - 16
4.	Annexure - 3	17 - 22
5.	Annexure - 4	23 -36
6.	Annexure - 5	37

AISHWARYA RAJYASHREE
Advocate
Bar Association Room No. 5,
High Court, Calcutta
Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,
Kolkata: 700001.
(M)9874995669
Email: advaish.hc@gmail.com

nhu

T-48758

Binod Ranjan Prasad
NOTARY
HAZARIBAG (JHARKHAND)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH

KOLKATA

Original Application No. 79/2024/EZ

(Earlier O.A. No. 245/2024/PB)

Suo-motu ....Appellant

Versus

(i) Central Pollution Control Board, through its Member Secretary

(ii) Jharkhand State Pollution Control Board, through its Member Secretary

(iii) Deputy Commissioner/District Magistrate, Hazaribagh

.............Respondent

Book 10382 Dated 22-04-24
Authorised u/s 8(1) (a) of the notaries act 53 of 1952 & rule 11 (3) (4) of the notary rules 1958

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No. 398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Counter affidavit on behalf of Respondent No. 3 Deputy Commissioner cum District Magistrate, Hazaribagh most respectfully showeth

1. That the National Green Tribunal, Eastern Zone, Bench, Kolkata has been please to issue notice in Original Application No. 79/2024/EZ (Earlier O.A. No.

Scanned with CamScanner

245/2024/PB) fixing a date of 26.04.2024 before Eastern Zone Bench, Kolkata.

BACKGROUND OF THE CASE

2. the State Government of Jharkhand has notified Rule 12 of Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 on 12.12.2017 by way of amendment whereby the sand mining in Jharkhand is regulated under Jharkhand State Sand Mining Policy,2017 dated 16.08.2017/30.09.2022

A photocopy of Jharkhand State Sand Mining Policy,2017 along with its extension/further amendment are annexed herewith and marked as **Annexure-1 series** to this counter affidavit.

3. That in accordance to Jharkhand State Sand Mining Policy,2017, all commercial sand ghats in Jharkhand is to be operated by Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd (in short, JSMDC Ltd) and the JSMDC Ltd shall be treated as deemed lease /deemed lessee of State Government.

4. That the District Survey Report of sand as approved by State Level Environment Impact Assessment Authority,

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Scanned with CamScanner

Jharkhand (SEIAA, Jharkhand, RANCHI) has identified 12 number of sand ghats in Hazaribagh district.

A list of sand ghats in Hazaribagh district as approved by SEIAA, Jharkhand is annexed herewith and marked as **Annexure-2** to this counter affidavit

5. That out of 12 numbers of commercial sand ghats in Hazaribagh district, the JSMDC Ltd has been able to operate only one sand ghat in the district which is operational from 2019. The other 11 sand ghats to be operated by JSMDC Ltd are in still in the process of acquiring Environmental Clearance by JSMDC Ltd and the Deputy Commissioner, Hazaribagh has already recommended for selection of Mine Development Operators for 11 sand ghats of JSMDC Ltd.

ACTION TAKEN

6. That the State Government has constituted a District Task Force against illegal mining, transportation and business vide order No. 563/MC dated 05.10.2005 and State Gazette No. 486 dated 09.07.2015.

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Photocopies of State Government order No. 563/MC dated 05.10.2005

Scanned with CamScanner

and State Gazette No. 486 dated 09.07.2015 are annexed herewith and marked as **Annexure-3 series** to this counter affidavit.

7. That the aforesaid District Task Force against illegal mining, transportation and business regularly reviews the matter under the chairmanship of Deputy Commissioner, Hazaribagh.

A few sample photocopies of proceedings of the task force meetings dated 22.02.24 and dated 21.03.2024 are annexed herewith and marked as **Annexure-4 series** to this counter affidavit.

8. That a summary of First Information Reports against illegal mining, transportation and storage of sand in Hazaribagh district is summarised below for ready reference

Year	Number of FIR	Number of vehicle seized/involved
2022-23	32	92
2023-24	93	148

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 3?8/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

9. That the district administration is committed to stop illegal transportation of sand in Hazaribagh district and the

Scanned with CamScanner

competent officers under JMMC Rules, 2004 as amended have regularly taken action by way of seizures and penalty during illegal transportation of sand as summarised below.

Year	Number of vehicles seized	Penalty realized (Rs)
2022-23	211	32,37,000.00
2023-24	250	45,81,000.00

A detailed and consolidated summary of strong action against illegal mining, transportation and storage of sand in Hazaribagh district is annexed in a separate sheet and marked as **Annexure-5** to this counter affidavit.

10.That in view of aforesaid submissions, the affidavit of Deputy Commissioner, Hazaribagh be accepted.

20.4.2024
District Mining Officer,
Hazaribag.

Deputy Commissioner,
Hazaribag.

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
398/2010
JHARKHAND (INDIA)

Scanned with CamScanner

VERIFICATION

I, Ajeet Kumar aged about 57 years S/o Late R.C. Prasad resident of Dipugaraha, Cannary Road, P.O.-Hazaribagh. P.S.-Korrah PIN- 528301, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am posted as District Mining Officer, Hazaribagh.
2. That I have been duly authorized by Respondent No. 3, Deputy Commissioner, Hazaribagh to swear this affidavit before NGT, Kolkata in Original Application No.245/2024 in her behalf.
3. That I have read the contents of this affidavit and have fully understood the same.
4. That the factual statements made in the affidavit are true to the best of my knowledge, information and derived from the relevant records of the case and rest are by way of my humble submissions before NGT.
5. That the annexure are photocopies / true copies of their respective originals.
6. That this affidavit is being signed, sworn and verified by me on this day the 22 of April, 2024 at Hazaribagh.

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
3../2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Ajeet Kumar

Deponent

Identified the deponent who has signed/put L.T.I in my presence

22-04-24

ADVOCATE

Solemnly affirmed/declared on oath before me by Sri... Ajeet Kumar
Who has been identified by Shri.......
...B. Kumar........Advocate
who is personally know to me.

NOTARY 22/4/24

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 581 **27 shrawan, 1938 (S)**

Ranchi, Friday, 18th AUGUST, 2017

Department of Industries, Mines and Geology

Notification

16 AUGUST, 2017

No. Kha. Ni. (Vividh)-67/2017-1905-- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Governor of Jharkhand exercises power to notify following policy:-

JHARKHAND STATE SAND MINING POLICY - 2017

Sand is a very important minor mineral. It is closely connected with the basic need of the common people and plays a vital role in the infrastructural development of the State.

Under Jharkhand Minor Mineral Concession Rule, 2017 sand is placed in schedule-II and is regulated and governed by Rule 12. In compliance of the Supreme Court ruling of Deepak Kumar v/s State of Haryana etc. (Special Leave Petition (C) No. 19629 of 2009 and Interlocutory Application No. 12-13 of 2011), and subsequent MoEF&CC Guidelines, the State has made certain amendments in the year 2014 and later in February 2017. However it was felt that there is a need for an environmentally sustainable and social centric comprehensive sand mining policy which will fulfil the developmental needs of the State as well as regular and adequate supply of sand at a reasonable price for the common people of the State.

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-398/2010

Scanned with CamScanner

Therefore, with a view to achieve these objectives, after detailed, careful examination, consultations and consideration of various aspects, the Government has introduced a comprehensive ***Jharkhand State Sand Mining Policy 2017,*** which will broadly and effectively guide sand mining in the State in an environmentally sustainable and socially responsible manner.

The salient features of Jharkhand State Sand Mining Policy 2017 are as follows:-

1. Preparation of District Survey Report:-

a. A District Survey Report for each district shall be prepared by the committee headed by Deputy Commissioner-cum-Chairman DEIAA, as envisaged in Para 7 (iii) of Part –II – Section -3-Sub Section (ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016.

b. The State shall issue necessary guidelines or directives as and when required for an effective preparation of District Survey Report.

2. Categorization of Streams/Rivers:

a. Identification of the sand available in different order of streams such as 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th order or more shall be carried out by the District Survey Committee based on its size and capacity.

b. Based on District Survey Report the Survey Committee shall categorize the sand in 1st order and 2nd order stream/river as Category-1 and 3rd order and above as Category-2.

c. However, based on recommendation of District Survey Committee and depending upon local conditions/requirements, the State may review and change the positioning of a particular order of stream/river into a particular category of Category-1 or Category-2.

3. Management of Sand Deposits of Category-1 Streams/Rivers:

a. The sand deposits of Category-1 stream/rivers will be kept fully free from domain of grant of mining lease.

b. The sand from this category can be used only for non-commercial purposes such as domestic purpose, Community purposes, Government Sponsored Schemes etc. or as defined in Appendix – IX of Part–II–Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016.

c. Gram Panchayat/Local Self Government shall be responsible for supervision of sand collection from such area.

d. There shall be no transfer or subletting of the sand deposits from these Streams/Rivers.

e. The sand from these Streams/Rivers shall be free from any taxes, royalty or levy.

B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED

Binod Ranjan Prasad
Notary Public Hazaribag
Regd. No.-398/2010

Scanned with CamScanner

f. For the purpose of maintenance of the approach road, management, supervision etc. a nominal *Maintenance Charge* shall be levied by Gram Panchayat/Local Self Government per unit volume of sand lifted/collected/dispatched, as per the rate decided by Department of Industries, Mines and Geology, Government of Jharkhand.

g. It shall be responsibility of Gram Panchayat/Local Self Government to ensure that sand from these deposits is not used for any commercial purposes and to regulate the same, a receipt-cum-dispatch challan will be issued by the Gram Panchayat/Local Self Government in the format as prescribed by the State.

h. The maintenance charge so collected shall be deposited in the account of Gram Panchayat/Local Self Government.

i. The book keeping of this account shall be maintained by Gram Panchayat/Local Self Government according to prevailing rules and guidelines of the Gram Panchayat/Local Self Government.

j. Under no circumstances the sand shall be allowed to be stored from these Streams/Rivers.

k. As mentioned in para 7-(i)-(B) of Part–II–Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016 such usage of sand shall be exempted from environmental clearance.

l. This shall be the responsibility of the Gram Panchayat/Local Self-Government to restrict sand mining in prohibited areas as directed by the Department.

m. Under no circumstances mechanized lifting of sand shall be allowed from these category of streams/rivers.

n. The Deputy Commissioner shall put in place proper administrative/enforcement mechanism to ensure no commercial/illegal extraction of sand from these orders of streams/rivers.

4. Management of Sand Deposits of Category-2 Streams/Rivers:-

a. The Sand deposits of Category-2 shall be managed by State Government through Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited (JSMDC).

b. All the sand deposits in Category-2 shall be allocated to JSMDC for a minimum period of 5 years or more as decided by the Government.

c. Sand shall be sold by the JSMDC on commercial basis.

d. The sale price of sand shall be decided by JSMDC in consultation with the Government.

e. JSMDC shall obtain all clearances such as Environmental Clearance, Mining Plan or any other statutory requirements for sand mining, storage and sale.

f. JSMDC shall ensure compliance of all applicable rules, regulations, guidelines, directives of honourable courts etc.

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

g. JSMDC shall ensure that no Sand mining is carried out in any such zone or depth as prohibited under MoEF&CC Guidelines.

h. JSMDC shall adopt scientific and sustainable mining practices and shall ensure a transparent, fair and effective delivery system.

i. JSMDC shall adopt appropriate technology such as RFID/GPS tracking of vehicles, CCTV surveillance, central monitoring, cashless online sale etc. to prevent illegal mining and transportation of sand.

j. State shall reimburse the entire expenditure incurred by JSMDC for operation and maintenance of sand ghats and also pay suitable agency commission as fixed by the Government.

The Government may review the Sand Mining Policy in future as and when required and issue Guidelines or Amendments accordingly.

By order of Governor of Jharkhand,

Sunil Kumar Barnwal,
Secretary of Government.

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 581-- 50.

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 496 राँची, गुरूवार, 6 अक्टूबर, 2022 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022

संख्या-ख०नि०(विविध)-117/2017-2089--एम0, Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 को MoEF&CC, GOI द्वारा वर्ष 2016 में निर्गत Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। MoEF&CC, GOI द्वारा वर्ष 2020 में Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 निर्गत है, जिसके आलोक में Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

NOTARY ★ B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 395/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED

Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-398/2010

Scanned with CamScanner

अतएव राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.09.2022 के मद संख्या-31 पर प्राप्त सहमति के आलोक में Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका-1(a) को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1(a). "A District Survey Report for each district shall be prepared as per directions/guidelines issued by MoEF & CC, GoI/any other competent authority from time to time."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव

NOTARY B. R PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 396/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 496 - 50

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 497 राँची, गुरूवार, 6 अक्टूबर, 2022 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022

संख्या-ख०नि०(विविध)-117/2017-2090--एम0, Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के प्रावधानों के तहत झारखण्ड राज्यान्तर्गत बालूघाटों को दो श्रेणियों यथा श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय) संशोधन निमयावली, 2017 के नियम-12(4) के तहत श्रेणी-II के बालूघाटों के संचालन हेतु सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को Deemed Lessee घोषित किया गया है। उक्त के आलोक में Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका-4(b) में निहित प्रावधान के तहत सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को राज्यान्तर्गत श्रेणी-II के बालूघाटों के संचालन का दायित्व 05 वर्षो के लिए सौंपा गया था, जिसकी अवधि दिनांक-15.08.2022 को समाप्त हो गयी है।

B. R. PRASAD HAZARIBAG Regn. No. 398/2010 NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED

Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. 06.-18/2010

Scanned with CamScanner

2. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.09.2022 के मद संख्या-31 पर प्राप्त सहमति के आलोक में सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को राज्यान्तर्गत श्रेणी- II के सभी बालूघाटों के संचालन की अवधि दिनांक-16.08.2022 से अग्रेतर तीन वर्षों तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 497 - 50

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

Annexure - 2

~~ANX 2~~

जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग।

हजारीबाग जिला के लिए बालू घाटों की सूची

क्र0	बालू घाट का नाम	प्रखण्ड	प्लॉट संख्या	रकवा (हेक्टेयर में)	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	Tentative Yearly Production (cum)
1	2	3	4	6	7	8
1	पडरिया	बड़कागाँव	560, 1039, 807, 1050	0.39	7.08	84,960
	पडरिया		560, 1039, 807, 1050	0.42		
	पडरिया		560, 1039, 807, 1050	0.98		
	सिरमा		109	3.04		
	पडरिया		560, 1039, 807, 1050			
	पडरिया		560, 1039, 807, 1050	2.25		
2	सौंढ	बड़कागाँव	2564	4.58	4.58	54,960
	सोनपुरा		01, 372			
3	मासीपीढ़ी	बरकट्ठा	2911	1.60	1.60	14,400
	बेलकपी		5633			
4	बेहराबाद	बरही	01	3.18	3.18	38,160
5	बेरीसाल	बरही	137, 227, 228	3.47	4.70	56,400
	बेरीसाल		137, 227, 228, 228	0.77		
	बेरीसाल		137	0.46		
6	बादम	बड़कागाँव	1367	0.99	2.89	34,680
	राउतपारा		01			
	बादम		1367	0.43		
	राउतपारा		01			
	डम्माडीह		29, 188	0.23		
	डम्माडीह		29, 188	0.99		
	कुतुलुवा		01			
	कुतुलुवा		01	0.25		
7	लंगातु	बड़कागाँव	2655, 2788, 2947, 3808	0.54	3.48	31,320
	सिकरी		1496			
	लंगातु		2655, 2788, 2947, 3808	1.00		
	पडरिया		183			
	सिकरी		1496			
	लंगातु		2655, 2788, 2947, 3808	0.84		
	पडरिया		183			
	लंगातु		2655, 2788, 2947, 3808	0.48		
	पडरिया		183			
	लंगातु		2655, 2788, 2947, 3808	0.19		
	पडरिया		183			
	बड़कागाँव		3982, 3683	0.43		
	सिरमा		01			
8	गोसाईबलिया	बड़कागाँव	01	0.11	1.00	12,000
	हरली		1985, 2248			
	गोसाईबलिया		01	0.89		
	हरली		1985, 2248			

NOTARY BINOD RANJAN PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 356/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED

Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-356/2010

/24

Scanned with CamScanner

क्र0	बालू घाट का नाम	प्रखण्ड	प्लॉट संख्या	रकवा (हेक्टेयर में)	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	Tentative Yearly Production (cum)
1	2	3	4	6	7	8
9	चोबदार बलिया	बड़कागाँव	01	0.43	0.79	9,480
	हरली		1985, 2248	0.36		
	चोबदार बलिया		01			
10	काण्डतरी	बड़कागाँव	01, 1980	0.71		8,520
11	बेला	बरही	649	5.80		69,600
12	नवाटॉड़	बड़कागाँव	102	4.14	4.14	1,12,091

20.5.2024

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public

Scanned with CamScanner

ANX-3

Annexure - 3

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संख्या – /एम०सी० राँची, दिनांक

संकल्प

झारखंड राज्य में अवैध खनन पर रोकथाम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर अवैध खनन की गतिविधियों की नियमित समीक्षा, अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु समुचित ठोस एवं कारगर कार्रवाई की जाए।

इस क्रम में खान मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भी राज्य सरकार से टास्क फोर्स/उड़न दस्ता गठित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य एवं जिला स्तर पर निम्न प्रकार से टास्क फोर्स का गठन किया जाता है:

1. राज्य स्तर पर टास्क फोर्स

1.	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	–	अध्यक्ष
2.	निदेशक, खान	–	सदस्य सचिव
3.	उपायुक्त, चाईबासा/ राँची/ धनबाद/हजारीबाग/बोकारो/जमशेदपुर/ कोडरमा/देवघर/पाकुड़/चतरा/गिरिडीह/ लातेहार	–	सदस्य
4.	आरक्षी अधीक्षक, चाईबासा/ राँची/ धनबाद/हजारीबाग/बोकारो/जमशेदपुर/ कोडरमा/देवघर/पाकुड़/चतरा/गिरिडीह/ लातेहार	–	सदस्य
5.	परिवहन विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून न हो)	–	सदस्य
6.	वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून न हो)	–	सदस्य
7.	राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रतिनिधि	–	सदस्य
8.	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, आई०बी०एम० के प्रतिनिधि	–	सदस्य
9.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि	–	सदस्य

(ख) इस टास्क फोर्स के निम्नांकित कर्तव्य होंगे:

1. विभिन्न जिलों में खनन/परिवहन/वन एवं पर्यावरण विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई की समीक्षा।
2. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आई०बी०एम०) अथवा अन्य प्राधिकार/ लोक शिकायत/मीडिया द्वारा प्रकाश में लाए गए अवैध खनन की रोकथाम के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा।
3. टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना एवं आपसी विषयों पर विचार–विमर्श।
4. केन्द्र/राज्य, सरकार द्वारा निदेशित अवैध खनन से जुड़े मामलों के संबंध में विचार–विमर्श।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. ...8/2010 JHARKHAND (INDIA)

C:\Documents and Settings\New User\My Documents\draft4.doc

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

2

(ग) इस टास्क फोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई एवं की गई अनुशसाओं को समय–समय पर केन्द्र सरकार को संसूचित किया जाएगा।

(घ) केन्द्र सरकार को अवैध खनन के संबंध में प्रत्येक तिमाही पर विहित प्रपत्र मे प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

(ङ) इस टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाएगी।

2. <u>जिला स्तर पर टास्क फोर्स</u>

1. उपायुक्त	–	अध्यक्ष
2. आरक्षी अधीक्षक	–	सदस्य
3. अपर समाहर्त्ता, राजस्व	–	सदस्य
4. जिला खनन पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
5. वन प्रमंडल पदाधिकारी	–	सदस्य
6. जिला स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद के पदाधिकारी	–	सदस्य
7. जिला परिवहन पदाधिकारी	–	सदस्य

(ख) इस समिति के निम्नांकित कर्तव्य होंगे:

1. अपने क्षेत्राधिकार में अवैध खनन से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करते हुए अवैध खनन पर प्रभावकारी अंकुश लगाने हेतु ठोस कार्रवाई करना।
2. अवैध खनन के संबंध में समय–समय पर समीक्षा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना।
3. राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा संसूचित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करना।
4. अवैध खनन के विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी मासिक सूचनाएँ विहित प्रपत्र में राज्य सरकार को प्रेषित करना।

(ग) इस टास्क फोर्स की बैठक माह में एक बार होगी।

(घ) उपायुक्त द्वारा टास्क फोर्स की बैठक में जिले के खनन पट्टेधारियों, जिनमें विभिन्न कोयला कंपनियाँ भी सम्मिलित हैं, को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा सकेगा ताकि ऐसे खनन पट्टेधारियों के क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की प्रभावी समीक्षा की जा सके।

यह आदेश सद्यः प्रभाव से लागू होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 563 /एम0सी0 राँची, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि – सचिव, परिवहन विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/आरक्षी महानिदेशक/ क्षेत्रीय नियंत्रक, आई0बी0एम0, राँची/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

C:\Documents and Settings\New User\My Documents\draft4.doc

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 393/2010

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक -- 563 /एम0सी0 राँची, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि – सभी उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -- 563 /एम0सी0 राँची, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि – प्रभारी, खंान निदेशाल/को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -- 563 /एम0सी0 राँची, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि – सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकार, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -- 563 /एम0सी0 राँची, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक, खान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 563 /एम0सी0 राँची, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 563 /एम0सी0 राँची, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि – सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110 001 को उनके अर्द्ध सरकारी पत्र सं0– 16/69/2005 – M.VI दिनांक 11.08.2005 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

5.10.05

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
390/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

C:\Documents and Settings\New User\My Documents\draft4.doc

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 390/2010

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 486 राँची, गुरुवार 18 वैशाख, 1937 (श०)

9 जुलाई, 2015 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

8 जुलाई, 2015

विषय:-अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन एवं व्यापार की रोकथाम हेतु कार्ययोजना ।

संख्या-1394,-- झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु विभागीय संकल्प संख्या-563/एमसी, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 द्वारा जिला एवं राज्यस्तरीय टास्कफोर्स गठित है। इस टास्कफोर्स द्वारा नियमित कार्रवाई जिलों में की जाती रही है। खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन पर पूर्ण रूपेण रोकथाम करने हेतु राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षकों को जिम्मेवारियाँ सौंपी गयी है, जिसके फलस्वरूप कुछ हद तक अवैध उत्खनन, परिवहन आदि पर अंकुश लगा

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-332/2010

Scanned with CamScanner

है, परन्तु राज्य सरकार को खनिज के वैध पट्टाधारी, व्यवसायियों को इस क्षेत्र में सहजता से कार्य करने के उद्देश्य से अवैध खनन कर्ताओं एवं अवैध व्यापार करने वाले के विरूद्ध ठोस एवं नियमित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है ताकि पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज का उत्खनन मानक ढंग से हो सके।

उपरोक्त के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निम्न रूपेण कार्ययोजना प्रस्तावित है :-

कार्ययोजना :-

1. जिलों में स्वीकृत सभी खनिज (लघु एवं वृहत) के पट्टो एवं खनिज विक्रेताओ की सूची जिलों के उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी को जिला खनन पदाधिकारी द्वारा संकल्प निर्गत होने की तिथि से दस दिनों के अन्दर अचूक रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला प्रशासन को सभी अवैध् खनन स्थल को चिन्हित करने का उत्तरदायित्व होगा।

2. जिलास्तरीय टास्कफोर्स द्वारा तीन माह तक लगातार विशेष अभियान चलाकर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल/जिला बल के सहयोग से अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के स्थल पर लगातार छापेमारी की जाएगी एवं संबंधित विभाग के अधिकृत पदाधिकारी (यथा वाणिज्यकर, वन एवं पर्यावरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग आदि) अपने-अपने विभाग के अन्तर्गत प्रभावी नियमों के प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई यथा परिवाद आदि सक्षम न्यायालय में दायर करेंगें एवं उसकी कृत कार्रवाई प्रतिवेदन Action Taken Report विभाग को प्रत्येक माह भेजेगें।

3. जिला खनन पदाधिकारी द्वारा ऊर्जा विभाग को वैसे क्रशर स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जाएगा, जिनके पास खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है ताकि विद्युत कनेक्शन अवैध स्थलों पर विच्छेदित हो सके।

4. खनिज आधारित व्यवसाय- उद्योग की स्थापना जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बिना अनुमोदित नहीं किए जाएगें। सभी जिला खनन पदाधिकारी निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक सूची प्रत्येक माह विभाग/खान निदेशालय को भेजेंगें।

5. सभी उप निदेशक, खान प्रत्येक माह में न्यूनतम पाँच दिन अपने क्षेत्र अन्तर्गत औचक निरीक्षण एवं छापेमारी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से करेंगें।

6. अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर जिलास्तरीय टास्कफोर्स द्वारा निरंतर निगरानी की जाएगी।

7. जिलास्तरीय टास्कफोर्स प्रत्येक माह में अपने जिला में अवैध उत्खनन/ भंडारण/व्यापार की रोकथाम हेतु की गयी कार्रवाई से संबंधित Action Taken Report संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को समर्पित करेंगें।

8. राज्यस्तरीय टास्कफोर्स द्वारा प्रत्येक तिमाही में किसी एक जिले का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

NOTARY B. P. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 2010 (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-382/2010
29/4/24

Scanned with CamScanner

9. अवैध खनन में न्यायालय द्वारा दोषी पाये गये व्यक्ति/प्रतिष्ठान को राज्य अन्तर्गत खनिज के पट्टें /अनुज्ञप्तियाँ निर्गत नहीं की जाएगी।
10. वाणिज्यकर विभाग द्वारा खनिज से जुड़े व्यवसायी/ पट्टाधारियों को निर्गत TIN संख्या एवं विवरणी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को प्रत्येक तिमाही में भेजी जाएगी ताकि उनका सत्यापन किया जा सके एवं ई-चालान के माध्यम से अवैध कारोबार करने वाले पर कार्रवाई की जा सके।
11. यह संकल्प प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द मोहन ठाकुर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG (INDIA)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 486–50 ।

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-4

~~ANX-4~~

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय (खनन शाखा), हजारीबाग।

दिनांक 22.02.2024 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, हजारीबाग की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदया द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए माह जनवरी,2024 में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। कार्रवाई का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

<table>
<tr><th>क्र0 स0</th><th>पदाधिकारी का पदनाम</th><th>कार्रवाई की विवरणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td>
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल वाद</th><th>कुल अभियुक्त</th><th>जप्त वन पदार्थ</th><th>जप्त वाहन</th></tr>
<tr><td>जनवरी,24</td><td>01</td><td>02</td><td>मिट्टी – 150 Cft</td><td>(1) पावर ट्रेक – 02
(2) कोडी – 02
(3) बेलचा – 02</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td>
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल वाद</th><th>कुल अभियुक्त</th><th>जप्त वन पदार्थ</th><th>जप्त वाहन</th></tr>
<tr><td>जनवरी,24</td><td>03</td><td>15</td><td>कोयला – 21 टन</td><td>—</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्य आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td>
<table>
<tr><th>माह</th><th>जी0 केश नं0</th><th>जप्त वाहन/जप्त वन पदार्थ का विवरण</th><th>वनवाद दायर अभियुक्तों की संख्या</th><th>गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>जनवरी,24</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग।</td><td>1. बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 25
2. स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 05
3. दर्ज प्राथमिकी की संख्या – 01
4. कुल अभ्युक्तो की संख्या – 01 एवं अन्य
5. वाहनो से वसूली गई जुर्माना राशि – 6.70 लाख</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कारखाना निरीक्षक,
अंचल 1, हजारीबाग।</td><td>प्रतिवेदन अप्राप्त।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कारखाना निरीक्षक,
अंचल 2, हजारीबाग।</td><td>प्रतिवेदन अप्राप्त।</td></tr>
</table>

ATTESTED

Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-398/2010

NOTARY S. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Scanned with CamScanner

7	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग।	ईचाक थाना के मौजा टेप्सा में 03 क्रशर पर कार्रवाई किया गया।
8	जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग।	(1) कुल 08 वाहनों से परिवहन नियमों के उल्लंघन के बावत कार्रवाई करते हुए 1,20,000/– रूपया की वसूली की गई। (2) कुल 10 वाहनों पर तिरपाल नहीं रहने के कारण 20,000/– रूपया की वसूली की गई। (3) कुल 02 ओभर लोड वाहनों से 73,000/– रूपया की दण्ड वसूली की गई है। (4) कुल 27 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया है।
9	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, हजारीबाग।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
10	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बरही।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11	अचल अधिकारी, सदर।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	बड़ा बाजार थाना	
	कोर्रा थाना	
	मुफस्सिल थाना	
	लोहसिघना थाना	
	सदर थाना	
12	अचल अधिकारी, टाटीझरीया।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	टाटीझरीया थाना	
13	अचल अधिकारी, ईचाक।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	ईचाक थाना	
14	अचल अधिकारी, केरेडारी।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	केरेडारी थाना	
15	अचल अधिकारी, बरकट्ठा।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बरकट्ठा थाना	
16	अचल अधिकारी, विष्णुगढ़।	शून्य प्रतिवेदित।
	विष्णुगढ थाना	
17	अचल अधिकारी, चौपारण।	कोयला लदे जप्त वाहन की संख्या – 05 (प्राथमिकी – 03)
	चौपारण थाना	
18	अचल अधिकारी, कटकमदाग।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 09 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	कटकमदाग थाना	

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED

Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-398/2010

Scanned with CamScanner

19	अचल अधिकारी, चलकुशा।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	चलकुशा थाना	
20	अचल अधिकारी, कटकमसाडी।	शून्य प्रतिवेदित।
	कटकमसाडी थाना	
	पेलावल ओ0 पी0	
21	अचल अधिकारी, दारू।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	दारू थाना	
22	अचल अधिकारी, डाडी।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	गिद्दी थाना	
23	अचल अधिकारी, चुरचु।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	घरही थाना	
	चुरचू थाना	
24	अचल अधिकारी, पदमा।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	पदमा थाना	
25	अचल अधिकारी, बरही।	➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई) ➢ स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बरही थाना	
26	अचल अधिकारी, बड़कागाँव।	➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई) ➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बडकागाँव थाना	
	उरीमारी थाना	
	डाडीकला ओ0 पी0	

उपायुक्त द्वारा माह जनवरी, 2024 में अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के बावत की गई समीक्षा के दौरान प्रतिवेदित माह में शून्य कार्रवाई/प्राथमिकी दर्ज करने वाले अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी पर असंतोषजनक कार्रवाईयों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए नव पदस्थापित सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिला खनन टास्क फोर्स के विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए निदेश दिया गया कि संबधित अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी अपने–अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम हेतु सघन जाँच करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विगत माह का कार्रवाई का प्रतिवेदन अगले माह के 05 तारीख तक जिला खनन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– संबंधित सभी सदस्य खनन टास्क फोर्स)

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 3…/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Binod … Notary …

Scanned with CamScanner

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत कई माहों से थाना परिसर में अवैध खनिज लदे वाहनों को जप्त कर रखा गया है, परन्तु अभी तक वर्णित वाहन के विरूद्ध अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उसके विरूद्ध तत्काल अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाना आवश्यक है। ऐसी ही समरूप मामले में उरीमारी एवं डाडीकला ओ० पी० में 06 माह से अधिक अवधि से वाहन को जप्त कर रखा गया था, जिसमें से एक वाहन जो उरीमारी ओ० पी० अन्तर्गत था, के मामले में वाहन मालिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.C. No. 6586/2023 Satyanarayan Sahu Vrs. State of Jharkhand & Others वाद दायर किया गया है, जिसमें विरूद्ध क्रमशः दिनांक 29.01.2024 एवं दिनांक 01.02.2024 को अंचल अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के क्रम में थाना प्रभारी उरीमारी पर कार्रवाई हेतु संबधित पुलिस विभाग को आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में तत्कालीन थाना प्रभारी उरीमारी का निलम्बन भी हुआ है एवं 25,000/– रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतः वैसे मामलों की पहचान कर सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्राधीन थानों में जाँच कर अस्वत हो लेना आवश्यक है तथा वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में शीघ्र प्राथमिकी कर लिया जाना आवश्यक होगा, ताकि माननीय न्यायालय से संबंधित मामले में प्रतिकुल टिप्पणी प्राप्त न हो।

(अनुपालन :– सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (PIL) No. 2518/2019 उमा शंकर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 03.04.2023 को पारित आदेश का मामला खनन टास्क फोर्स के समक्ष लाया गया, जिसमें पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत अवैध खनन एवं क्रशर संचालन न होने का आदेश पारित है। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत ईचाक थाना क्षेत्र के मौजा सिझुआ, डुमरौन, डुमरौन मुर्तियाँ, साड़म, टेप्सा एवं बिक्रमा, पेलावल ओ० पी० क्षेत्र के मौजा पबरा एवं कटकमसांडी थाना क्षेत्र के मौजा हेसाकुदर, शाहपुर एवं गुरी में अवैध खनन एवं अवैध क्रशर इकाई के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 12 प्राथमिकीयाँ दर्ज की गई है। इस संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी आश्रयणी प्रमण्डल द्वारा उक्त दायर PIL का विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में ESZ अन्तर्गत पत्थर, बालू एवं स्टोन क्रशर का संचालन नहीं होना है तथा इस पर समुचित निगरानी रखी जानी है, ताकि किसी भी परिस्थिति में ESZ अन्तर्गत अवैध उत्खनन एवं क्रशर का संचालन न हो। उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को ESZ अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों की सूचना अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दी जाय। अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने–अपने अंचल/थाना क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर आवश्यक कानूनी

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
393/2010
(INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 393/2010

Scanned with CamScanner

कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत अवस्थित खनन पट्टों/अनुज्ञप्ति प्राप्त क्रशरों की सूची भी सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दी जाय।

(अनुपालन :– संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ईचाक थाना क्षेत्र अन्तर्गत मौजा टेप्सा में बन्द पत्थर खदानों से पुनः पत्थर के अवैध उत्खनन की सूचना लगातार प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 09.12.2023 को विस्फोटक सामग्री को जप्त करते हुए ईचाक थाना में खनन विभाग द्वारा पाँचवी बार प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसके विरूद्ध थाना स्तर से ठोस कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि पुनः अवैध खनन का मामला प्रकाश मे न आवे। इस संबंध में थाना प्रभारी, ईचाक द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में उक्त स्थल पर अवैध खनन बन्द है। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त स्थल का दिन–रात समुचित निगरानी करने हेतु थाना प्रभारी, ईचाक को निदेश दिया गया, ताकि वर्णित स्थल से अवैध खनन न हो तथा अवैध खनन पाये जाने पर अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज की जाय।

(अनुपालन :– अंचल अधिकारी, ईचाक/थाना प्रभारी, ईचाक)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत माह में रात्रि के समय अवैध कोयला परिवहन के बावत लगभग 100 से अधिक कोयला लदे वाहनों का जॉच किया गया है, जॉच के क्रम में परिवहन चालान में अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस संबंध मे पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बड़कागॉंव अंचल के विभिन्न वन क्षेत्रों में वन विभाग/पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कोयला के अवैध उत्खनन हेतु मुहाने को डोजरिंग कर बन्द किया गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारी को अपने–अपने थाना क्षेत्र में अवैध कोयला परिवहन का लगातार जॉच करते हुए अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बड़कागॉंव अंचल अन्तर्गत अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन का शिकायत प्राप्त हो रही है एवं समय–समय पर कार्रवाई की जाती रही है, परन्तु प्रभावी रूप से अवैध खनन एवं परिवहन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध लगातार ठोस कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No.-?98/2010

NOTARY
GOVT. OF JHARKHAND

Scanned with CamScanner

उपायुक्त द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से माह जनवरी, 2024 में खनिज परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उक्त माह में दो वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गई। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए लगातार ओभरलोड एवं बिना तिरपाल ढके खनिज लदे वाहनों का जाँच कर अनियमितता पाये जाने पर अधिक से अधिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– जिला परिवहन पदाधिकारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा विष्णुगढ़ अंचल के मौजा नरकी स्थित नदी से अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में Sumo moto संज्ञान लेकर O.A. No. 23/2024/EZ दायर किया गया है। उक्त के संबंध में खनन विभाग द्वारा अवैध पत्थर उत्खनकर्त्ताओं एवं 03 अवैध क्रशर इकाईयों के विरुद्ध काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024 दर्ज किया गया है। इन स्थलों पर नदी से सटे हुए वन भूमि है। इन स्थलों पर वन विभाग के द्वारा भी समुचित निगरानी एवं कार्रवाई किये जाने से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल को नदी एवं वन भूमि को जोड़ने वाले रास्ते पर Trench काटकर अवरूद्ध करते हुए वन भूमि के रास्ते अवैध पत्थर परिवहन न हो इस पर सतत निगरानी रखने हेतु संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में विभिन्न श्रोतों से कुल 14 शिकायत प्राप्त हुए है, जिसमें से 04 शिकायतों का अनुपालन हुआ है। शेष 10 शिकायत यथावत है, जिसका अनुपालन अगली बैठक के पूर्व करने हेतु निदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष शाखा से भी सम्पूर्ण जिलान्तर्गत विभिन्न थानाक्षेत्रों से अवैध खनन के मामले में शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसके बावत उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित थानों को निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व ATR संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्णित शिकायतों का ब्यौरा बैठक की कार्यवाही के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

(अनुपालन :– जिला खनन पदाधिकारी/संबंधित पुलिस उपाधीक्षक/ अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 34/2010 GOVT OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd.

Scanned with CamScanner

उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों एवं सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी को लघु एवं वृहत खनिज के अवैध उत्खनन/भण्डारण/परिवहन के विरूद्ध आपसी समन्वय बनाते हुए आवश्यक कार्रवाई कर अवैध खनन को बन्द कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी खनन टास्क फोर्स सदस्य)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक : 337 /खनन, हजारीबाग, दिनांक : 29.02.2024

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी/पूर्वी/वन्य प्राणी आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बरही/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर/बरही/बड़कागाँव/पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/कारखाना निरीक्षक, अंचल 1 एवं 2, हजारीबाग/क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत विभाग, हजारीबाग/बरही/जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग/सभी अंचल अधिकारी, /सभी थाना प्रभारी, जिला– हजारीबाग एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक : 337 /खनन, हजारीबाग, दिनांक : 29.02.2024

प्रतिलिपि : सचिव/निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No. 393/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 393/2010

Scanned with CamScanner

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय (खनन शाखा), हजारीबाग।

दिनांक 21.03.2024 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, हजारीबाग की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदया द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए माह फरवरी,2024 में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। कार्रवाई का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>पदाधिकारी का पदनाम</th><th>कार्रवाई की विवरणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td>
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल वाद</th><th>कुल अभियुक्त</th><th>जप्त वन पदार्थ</th><th>जप्त वाहन</th></tr>
<tr><td>फरवरी,24</td><td>07</td><td>15</td><td>कोयला – 6.5 टन</td><td>ट्रैक्टर – 02, वाटर पम्प – 06</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td>
<table>
<tr><th>माह</th><th>कुल वाद</th><th>कुल अभियुक्त</th><th>जप्त वन पदार्थ</th><th>जप्त वाहन</th></tr>
<tr><td>फरवरी,24</td><td>01</td><td>02</td><td>मिट्टी – 150 Cft</td><td>(1) पावर ट्रेक – 02, (2) कोड़ी – 02
(3) बेलचा – 02, (4) साल बोटा – 06 (0.3829 M)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्य आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td>
<table>
<tr><th>माह</th><th>जी0 केश नं0</th><th>जप्त वाहन/जप्त वन पदार्थ का विवरण</th><th>वनवाद दायर अभियुक्तों की संख्या</th><th>गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>फरवरी,24</td><td>363/24</td><td>NIL</td><td>1</td><td>NIL</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग।</td><td>1. बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 55
2. स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 04
3. दर्ज प्राथमिकी की संख्या – 02
4. कुल अभ्युक्तियों की संख्या – 05 एवं अन्य
5. वाहनो से वसूली गई जुर्माना राशि – 9.92 लाख</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कारखाना निरीक्षक,
अंचल 1, हजारीबाग।</td><td>प्रतिवेदन अप्राप्त।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कारखाना निरीक्षक,
अंचल 2, हजारीबाग।</td><td>प्रतिवेदन अप्राप्त।</td></tr>
</table>

NOTARY B.R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED

Ranjan Prasad Notary Public, Hazaribag Regd. No. 393/2010

7	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग।	चौपारण थाना के मौजा ढाबसलौनिया में 03 क्रशर पर कार्रवाई किया गया।
8	जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग।	(1) कुल 24 वाहनों से परिवहन नियमों के उल्लघंन के बावत कार्रवाई करते हुए 1,20,000/– रूपया की वसूली की गई। (2) कुल 25 वाहनों पर तिरपाल नहीं रहने के कारण 50,000/– रूपया की वसूली की गई। (3) कुल 01 ओभर लोड वाहनों से 36,000/– रूपया की दण्ड वसूली की गई है। (4) कुल 47 वाहनों पर रिपलेक्टिव टेप लगाया गया है।
9	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, हजारीबाग।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
10	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बरही।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11	अंचल अधिकारी, सदर। बड़ा बाजार थाना कोर्रा थाना मुफ्फसिल थाना लोहसिंघना थाना सदर थाना	➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 03 (दण्ड राशि की वसुली की गई) ➢ स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 04 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
12	अंचल अधिकारी, टाटीझरीया। टाटीझरीया थाना	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 05 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
13	अंचल अधिकारी, ईचाक। ईचाक थाना	स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (प्राथमिकी – 01)
14	अंचल अधिकारी, केरेडारी। केरेडारी थाना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
15	अंचल अधिकारी, बरकट्ठा। बरकट्ठा थाना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
16	अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़। विष्णुगढ थाना	➢ कोयला लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (प्राथमिकी – 01) ➢ स्टोन चिप्स का भण्डारण (प्राथमिकी – 01)
17	अंचल अधिकारी, चौपारण। चौपारण थाना	कोयला लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (प्राथमिकी – 01)
18	अंचल अधिकारी, कटकमदाग। कटकमदाग थाना	➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 04 (दण्ड राशि की वसुली की गई) ➢ स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 393/2010

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 393/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Scanned with CamScanner

19	अंचल अधिकारी, चलकुशा।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	चलकुशा थाना	
20	अंचल अधिकारी, कटकमसांडी।	माह फरवरी,24 का प्रतिवेदन अप्राप्त।
	कटकमसांडी थाना	
	पेलावल ओ0 पी0	
21	अंचल अधिकारी, दारू।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	दारू थाना	
22	अंचल अधिकारी, डाड़ी।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	गिद्दी थाना	
23	अंचल अधिकारी, चुरचु।	शून्य प्रतिवेदित।
	चरही थाना	
	चुरचू थाना	
24	अंचल अधिकारी, पदमा।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 03 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	पदमा थाना	
25	अंचल अधिकारी, बरही।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बरही थाना	
26	अंचल अधिकारी, बड़कागाँव।	➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 09 (दण्ड राशि की वसुली की गई) ➢ कोयला लदे जप्त वाहन की संख्या – 05 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बड़कागाँव थाना	
	उरीमारी थाना	
	डाडीकला ओ0 पी0	

उपायुक्त द्वारा माह फरवरी, 2024 में अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के बावत की गई समीक्षा के दौरान प्रतिवेदित माह में कम एवं शून्य कार्रवाई/प्राथमिकी दर्ज करने वाले अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी पर असंतोषजनक कार्रवाईयों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम हेतु सघन जाँच करते हुए बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन सहित अन्य खनिजों पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विगत माह का कार्रवाई का प्रतिवेदन अगले माह के 05 तारीख तक जिला खनन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– संबंधित सभी सदस्य खनन टास्क फोर्स)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण जिले में माननीय NGT में O.A. No. O.A.No. 151/2023/EZ (Old O.A.No. 566/2023/PB), O.A.No. 132/2024, O.A.No. 45/2024 द्वारा Sumo Moto संज्ञान लेते हुए तीन मामला माननीय NGT कोलकाता बेंच में दर्ज है तथा सभी मामलों में कार्रवाई से संदर्भित Action Taken Report की माँग की जा रही है, जिसके लिये राज्य स्तर से इसका Monitering किया जा रहा है। वर्णित परिस्थिति में बालू के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम हेतु प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अपने–अपने अंचल/थाना क्षेत्रों में सघन जाँच की जाय एवं नदियों से बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने–अपने अंचल/थाना क्षेत्रों में बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण का मामला पाये जाने पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे, संबंधित अंचलों एवं थाना क्षेत्रों में अवैध बालू के उठाव का मामला प्रकाश में नहीं आये।

(अनुपालन :– सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विष्णुगढ़ थानान्तर्गत मौजा नरकी में अवैध रूप से संचालित क्रशरों के विरूद्ध दर्ज काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024 दर्ज किया गया है तथा इस संदर्भ में माननीय NGT में O.A. No. **23/2024/EZ (Earlier O.A. No. 729/2023PB)** दर्ज है, जिसकी सुनवाई माननीय NGT कोलकात्ता बेंच में चल रही है। जिसके बावत माननीय NGT में खनन विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। माननीय NGT द्वारा इस संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग को अवैध रूप से स्थापित क्रशरों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग के उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे माननीय न्यायालय से प्राप्त न्यायादेश का आवलोकन कर ले एवं इसपर नियमसंगत कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अन्दर सूचित करेगे। वन विभाग के पदाधिकारी भी इस संदर्भ में समुचित निगरानी रखेंगे, ताकि पुनः इस क्षेत्रों से पत्थर का अवैध उत्खनन न हो एवं वन भूमि के रास्ते को बाधित करने हेतु समुचित कार्रवाई करेंगे, ताकि वन भूमि के रास्त से वाहनों का परिवहन न हो।

(अनुपालन :– वन प्रगण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग)

NOTARY R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED

Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

उपायुक्त के द्वारा बड़कागाँव क्षेत्र के वन भूमि में सुरंग बनाकर कोयले के अवैध उत्खनन एवं इस पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में बैठक में उपस्थित सहायक वन संरक्षक से पृच्छा की गई। उपस्थित ACF, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि बड़कागाँव क्षेत्र अन्तर्गत क्रमशः मौजा राउतपारा, अम्बा झरना, रूदी में जे0 सी0 बी0 के माध्यम से स्थानीय थाना के सहयोग से अवैध रूप से निर्मित कुल 20 सुरंगों को भरा गया है एवं संदर्भित मामले में वन वाद भी दायर किया गया है। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा निदेर्शित किया गया कि अवैध रूप से निर्मित एवं भरे गये सुरंगों को संबंधित थाना प्रभारी अपने स्तर से भी समुचित निगरानी रखेंगे एवं पुनः अवैध खनन का मामला प्रकाश में आने पर संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को अवगत कराते हुए इस पर पुनः आवश्यक कार्रवाई करेगे। अंचल अधिकारी, बड़कागाँव भी यह सुनिश्चित करेगे कि बड़कागाँव क्षेत्र अन्तर्गत अवैध रूप से कोयले का खनन का मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित करते हुए अवैध खनन न हो, उसे बन्द कराते हुए समुचित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त द्वारा ACF को निदेश दिया गया कि सुरंगों को बन्द करने से संबंधित की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन समय–समय पर जिला टास्क फोर्स को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/
अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बड़कागाँव)

उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित मोटर यान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे खनिज लदे वाहनों का जाँच में बढ़ोतरी करेगे एवं खनिजों के ओभर लोड का मामला प्रकाश में आने पर संदर्भित नियमों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगे एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगे।

(अनुपालन :– जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ईचाक थाना क्षेत्र अन्तर्गत मौजा टेप्सा में बन्द पत्थर खदानों से पुनः पत्थर के अवैध उत्खनन की सूचना लगातार प्राप्त हो रहा है। विदित हो कि मौजा टेप्सा में अवैध खनन के बावत पूर्व में कुल 05 प्राथमिकीयाँ दर्ज है। इसके बावजूद भी इन स्थलों पर अवैध खनन का मामला प्रकाश में आ रहा है। निर्मित खदानों में अवैध खनन एवं विस्फोटक के प्रयोग से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक द्वारा ईचाक थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि वर्णित स्थल का जाँच करते हुए इस पर समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इस स्थलों से अवैध खनन का मामला प्रकाश में न आवे एवं सरकारी राजस्व की क्षति से रोका जा सके। ततसंबंधी प्रतिवेदन जिला टास्क फोर्स को उपलब्ध करायेगे।

(अनुपालन :– थाना प्रभारी, ईचाक)

ATTESTED
Binod [illegible]
Notary P[illegible]
Regd. No. [illegible]/2010

NOTARY
R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No. 398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Scanned with CamScanner

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत माह में रात्रि के समय अवैध कोयला परिवहन के बावत लगभग 87 कोयला लदे वाहनों का जाँच किया गया है, जाँच के क्रम में परिवहन चालान में अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि अवैध कोयले से लदे वाहनों का जाँच करेगे एवं गलत पाये जाने पर समुचित कार्रवाई करेगे।

(अनुपालन :– सभी थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में विभिन्न श्रोतों से कुल 14 शिकायत प्राप्त हुए है, जिसमें से 04 शिकायतों का अनुपालन हुआ है। शेष 10 शिकायत यथावत है, जिसका अनुपालन अगली बैठक के पूर्व करने हेतु निदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष शाखा से भी सम्पूर्ण जिलान्तर्गत विभिन्न थानाक्षेत्रों से अवैध खनन के मामले में शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसके बावत उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित थानों को निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व ATR संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्णित शिकायतों का ब्यौरा बैठक की कार्यवाही के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

**(अनुपालन :– जिला खनन पदाधिकारी/संबंधित पुलिस उपाधीक्षक/
अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)**

उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों एवं सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी को लघु एवं वृहत्त खनिज के अवैध उत्खनन/भण्डारण/परिवहन के विरूद्ध आपसी समन्वय बनाते हुए आवश्यक कार्रवाई कर अवैध खनन को बन्द कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी खनन टास्क फोर्स सदस्य)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 288/2010 (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. ... /2010

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक : 466 /खनन, हजारीबाग, दिनांक : 27.03.2024

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी/पूर्वी/वन्य प्राणी आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बरही/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर/बरही/बड़कागाँव/पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/कारखाना निरीक्षक, अंचल 1 एवं 2, हजारीबाग/क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत विभाग, हजारीबाग/बरही/जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग/सभी अंचल अधिकारी, /सभी थाना प्रभारी, जिला– हजारीबाग एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक : 466 /खनन, हजारीबाग, दिनांक : 27.03.2024

प्रतिलिपि : सचिव/निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

NOTARY ★ B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA) ★

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary Public, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

D:\New folder\backup 1\Backup\My Documents\2022-23\Task Force\Task Force Minutes 21.03.2024.docx

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-5

ANX-5

जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।

हजारीबाग जिलान्तर्गत बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु विगत दो वित्तीय वर्षो में की गई कार्रवाई की संक्षिप्त विवरणी :–

क्र0	वित्तीय वर्ष	अवैध परिवहन /खनन के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी	अवैध परिवहन/ खनन के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी में सन्निहित मात्रा (टन में)	अवैध भण्डारण के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी	अवैध भण्डारण के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी में सन्निहित मात्रा (टन में)	दर्ज प्राथमिकी की कुल संख्या	दर्ज प्राथमिकी में संलिप्त कुल वाहनों की संख्या	झारखण्ड लघु खनिज समनुदान संशोधन नियमावली 2017 के नियम 54 (5) के तहत की गई कार्रवाई की कुल संख्या	जुर्माना हेतु कुल संलिप्त वाहनों की संख्या	जुर्माना के विरूद्ध संलिप्त वाहनों में सन्निहित मात्रा (टन में)	झारखण्ड लघु खनिज समनुदान संशोधन नियमावली 2017 के नियम 54 (5) के तहत वसूली गई दण्ड की दण्ड राशि (लाख में)	अवैध बालू भण्डारण के विरूद्ध वसूल की गई जुर्माना राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**2022-23**	31	530	01	120	32	92	129	211	920	32.37	13.76
2	**2023-24**	88	978	05	1502	93	148	117	250	1095	45.81	9.31
	Total	**119**	**1508**	**06**	**1622**	**125**	**240**	**246**	**461**	**2015**	**78.18**	**23.07**

उपायुक्त,
हजारीबाग।

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
Binod Ranjan Prasad
Notary, Hazaribag
Regd. No. 398/2010

Scanned with CamScanner

Affidavit

अधिवक्ता कल्याण कोष पंद्रह रुपये ₹15 FIFTEEN RUPEES JHARKHAND ADVOCATE WELFARE FUND

अधिवक्ता कल्याण कोष पंद्रह रुपये ₹15 FIFTEEN RUPEES JHARKHAND ADVOCATE WELFARE FUND

NOTARY ★ B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Binod Ranjan Prasad
NOTARY
HAZARIBAG (JHARKHAND)

HAZARIBAG BAR ASSOCIATION • HAZARIBAG •
सत्यमेव जयते

NOTARY ★ B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

22/4/22

(Suman Kumar Singh)
General Secretary

Sl. No. A 48758

Joint Secretary
Bar Association, Hazaribag

Signature of Executive Member

Scanned with CamScanner